न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 09/2026

श्री विक्रम सिंह निवासी ग्राम कुंजलाबास पोस्ट रावतसर कुंजला जिला चुरू राज0 ——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांकः— 17.02.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 10.12.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

रामवतार मीना पिता श्री घासीलाल मीना नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय दूनी जिला टोंक में कार्यरत के बारे में निम्नांकित सूचना चाहने बाबत।

1 उक्त कार्मिक द्वारा कितने प्रमोशन का लाभ जोइनिंग से लेकर अब तक लिया गया हैं उक्त प्रमोशन लेटर की सत्यापित प्रतिलिपि उपलब्ध करावें।

2 उक्त कार्मिक रामवतार मीना पिता श्री घासी लाल मीना द्वारा नियुक्ति के समय अब तक कितनी संतानों का जिक्र किया हैं।

3 उक्त कार्मिक को आज तक किसी रिश्वतखोरी आदि मामलो में लिप्त पाया गया या नहीं यदि हा तो लिप्त मामले की संख्याकों सहित प्रतिलिपि प्रदान करने की कृपा करें।

4 उक्त कार्मिक द्वारा बाड़मेर अपने प्रथम पदस्थापना स्थल पर अपने भाई कैलास/घासी के नाम से अंकित भूमि ख़ारिज हुई या नहीं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र क्रमांक 166 दिनांक 30.01.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 77 दिनांक 17.02.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत ऑनलाईन आवेदन वर्तमान अति0 जिला कलेक्टर, टोंक की आर्डडी रामरतन सौंकरिया की जगह पी एल जाट के ऑनलाईन पोर्टल पर किये जाने से प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलाण्ट द्वारा चाही गई सूचना परपक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(j) के तहत व्यापक लोक हित प्रकट किये बिना देय नही होने से आवेदन पत्र खारिज कर उनके पत्र क्रमांक 76 दिनांक 17.02.2026 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

790

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति० जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)